

## न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

दावा संख्या  
218/2021

रजू दिनांक  
19.08.2021

निर्णय दिनांक  
07.12.2022

// उनवान //

1 जीया पुत्री संदीप पौत्री उमराव जाति जाट निवासी टेहडका तह0 मुण्डावर नावालिंग जिरियें सरपरस्त माता खुद ममता पत्नि संदीप जाति जाट हाल निवासी मोटूका तह0 वानसूर।  
:- वादीया

### बनाम

- 1 उमराव पुत्र सोनिया जाति जाट निवासी टेहडका तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
- 2 संदीप पुत्र उमराव
- 3 प्रदीप पुत्र उमराव जातियान जाट निवासीयान टेहडका तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
- 4 मुनेश देवी पत्नि चरणसिंह
- 5 सुमित्रा देवी पत्नि राजकुमार जातियान अहीर निवासीयान श्रीकृष्ण नगर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
- 6 मंजूदेवी पत्नि विजय कुमार जाति जाट निवासी टेहडका तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
- 7 श्रीमती बबलीदेवी पत्नि सरजीत जाति जाट निवासी टेहडका तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
- 8 पतराम पुत्र बल्लीराम जाति अहीर निवासी श्रीकृष्ण नगर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
- 9 राजस्थान सरकार जिरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
- 10 श्रीमान उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
- 11 सुमन पुत्री उमराव पत्नि संजय जाति जाट निवासी टेहडका तह0 मुण्डावर हाल निवासी सिरोड खुर्द तह0 मुण्डावर, अलवर, राज0।

:- प्रतिवादीगण

दावा- इश्तकरारहक मय दूरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड वो हु0ई0 दवामी।

उपस्थिति:- 1 श्री अरुण पण्डित - वकील वादीया

निर्णय

दिनांक- 07.12.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित आये। वादीया के वाद का सारतः रहा कि जमाबंदी सम्वत् 2071-74 अनुसार हाल आराजी ख0नं0 385/0.58, 386/0.58, 816/0.16 है0 का 1/16 भाग, 18/0.76 है0 का 1/4 भाग, 748/0.47, 803/0.19 है0 का 1/8 भाग, 747/0.03, 804/0.18, 246/0.30, 814/0.20, 817/0.20 है0 का 5/16 भाग, 20/0.63, 21/0.64, 22/0.64, 23/0.63 है0 का 3/10 भाग, 171/0.19, 172/0.29, 173/0.33, 174/0.46 है0 का 1/2 भाग, 805/0.13, 806/0.11, 810/0.38, 811/0.54, 812/0.38, 813/0.38, 808/0.75, 809/0.38, 815/0.18, 597/0.30, 751/0.21 है0 का 1/4 भाग, 377/0.40 है0 का 1/16 भाग, 18/0.76 है0 का 1/30 भाग, 245/0.30 है0 का 11/40 भाग, 378/0.81,

सहायक कलक्टर  
मुण्डावर (अलवर) राज0



750/0.24, 596/0.29 है0 1/4 भाग, 161/0.79, 162/0.19, 163/0.90, 164/0.33 है0 का 1/8 भाग दर 1/8 हिस्सा एवं 211/1.10, 233/1.19, 234/1.19 है0 का 308/4880 भाग, 379/0.81 का 11/40 भाग, 807/0.80 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम टेहडका तहसील मुण्डावर में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी जो मिनवादी व प्रतिवादी सं0 01 की दादा लाई की पैत्रिक आराजी होकर मिन वादीया के दादा उमराव पुत्र सोनिया प्रतिवादी सं0 01 के नाम दर्ज है जिस आराजी में मिन वादीया का प्रतिवादी सं0 02 के हिस्से 1/4 भाग में से 1/2 भाग में हकहकूक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बाईबर्थ निहित है। मिन वादीया का सजरा खानदान पेश है। मिन वादीया अपनी माता के संरक्षण में प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 4 के साथ शामिलता में अपने-अपने हिस्सेनुसार काविज होकर काश्त करते आ रहे हैं। मिन वादीया व प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा आराजी भी प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है लेकिन प्रतिवादी सं0 1 वृद्ध व जाईफ उम्र का व्यक्ति है जिसके सोचने व समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है जो अपना व परिवार का भला बुरा सोचने में असमर्थ है जिसको प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपने बहकावे में ले रखा है तथा बिना पारिवारिक आवश्यकता प्रतिवादी सं0 1 से दिनांक 11.12.2013 को प्रतिवादी सं0 4 व 5 मुनेश व सुमित्रा को आराजी ख0नं0 377/0.40 है0 का 17/22 दर 11/40 भाग व 378/0.40 है0 का 1/4 भाग व 379/0.81 है0 का 11/40 भाग का व दिनांक 11.12.2013 को ही प्रतिवादी सं0 6 मंजूदेवी को आराजी ख0नं0 807/0.80 है0 का 5/8 भाग दर 1/2 हिस्सा का व दिनांक 11.12.2013 को ही प्रतिवादी सं0 7 बबलीदेवी को आराजी ख0नं0 807/0.80 है0 का 15/40 भाग दर 1/4 भाग का व दिनांक 27.07.2018 को प्रतिवादी सं0 8 पतराम को आराजी ख0नं0 21/0.64 है0 का 3/10 भाग व ख0नं0 22/0.64 है0 का 5/192 दर 3/10 भाग का जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बिला कब्जा बेचान कर दिया तथा अब प्रतिवादी सं0 1 ल0 8 मिन वादीया को आराजी से बेदखल कर जबरन कब्जा करना चाहते है इसलिए उपरोक्त बयनामा व बयनामा के आधार पर दर्ज इन्तकाल को मिन वादीया के हक व हिस्से तक बाधित व बेअसर करार दिया जाकर मिन वादीया को प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज आराजी में से प्रतिवादी सं0 2 के हिस्से 1/4 भाग में से 1/2 भाग का कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दर्ज किया जावे तथा मिन वादी के हक व हिस्से तक प्रतिवादी सं0 1 व 4 ल0 8 का नाम हजफ कर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त फरमाया जावे अंकित कर पेश है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं0 2 ल0 8 एवं 10 अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी सं0 1 व 11 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आये एवं वास्ते जवाब दावा बार-बार अवसर अंतिम अवसर दिये जाने उपरांत जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उनके जवाब के अवसर को समाप्त किया गया एवं प्रतिवादी सं0 9 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब सरकार अपेक्षित नहीं है के बाबत पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

वादीया ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप बयनामा दिनांक 12.12.2013 प्रदर्श-1, बयनामा दिनांक 27.07.2018 प्रदर्श-2, बयनामा दिनांक 12.12.2013 प्रदर्श-3, बयनामा दिनांक 11.12.2013 प्रदर्श-3, नकल जमाबंदी सम्बत् 2071-74 किता 28 प्रदर्श-5, नकल इन्तकाल सं0 552 किता 2 प्रदर्श-6, नकल इन्तकाल सं0 714 प्रदर्श-7, नकल इन्तकाल सं0 934 प्रदर्श-8 पेश किये जो शामिल पत्रावली है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र वादीया माता ममता पीडब्ल्यू-1, मनोज कुमार पीडब्ल्यू-2 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीया की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये वकील वादी ने अभिकथन किया कि जमाबंदी सम्बत् 2071-74 अनुसार हाल

सहायक कलक्टर  
मुण्डावर (अलवर) राज

आराजी ख०नं० 385/0.58, 386/0.58, 816/0.16 है० का 1/16 भाग, 18/0.76 है० का 1/4 भाग, 748/0.47, 803/0.19 है० का 1/8 भाग, 747/0.03, 804/0.18, 246/0.30, 814/0.20, 817/0.20 है० का 5/16 भाग, 20/0.63, 21/0.64, 22/0.64, 23/0.63 है० का 3/10 भाग, 171/0.19, 172/0.29, 173/0.33, 174/0.46 है० का 1/2 भाग, 805/0.13, 806/0.11, 810/0.38, 811/0.54, 812/0.38, 813/0.38, 808/0.75, 809/0.38, 815/0.18, 597/0.30, 751/0.21 है० का 1/4 भाग, 377/0.40 है० का 1/16 भाग, 18/0.76 है० का 1/30 भाग, 245/0.30 है० का 11/40 भाग, 378/0.81, 750/0.24, 596/0.29 है० 1/4 भाग, 161/0.79, 162/0.19, 163/0.90, 164/0.33 है० का 1/8 भाग दर 1/8 हिस्सा एवं 211/1.10, 233/1.19, 234/1.19 है० का 308/4880 भाग, 379/0.81 का 11/40 भाग, 807/0.80 है० का 1/2 भाग वाके ग्राम टेहडका तहसील मुण्डावर में स्थित होकर उक्त विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी सं० 01 की दादा लाई की पत्रिक आराजी होकर वादीया के दादा उमराव पुत्र सोनिया प्रतिवादी सं० 01 के नाम दर्ज है जिस आराजी में वादीया का प्रतिवादी सं० 02 के हिस्से 1/4 भाग में से 1/2 भाग में हकहकूक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बाईबर्थ निहित है। इसी प्रकार वादीया का सजरा खानदान है जो पेश किया है। वादीया अपनी माता के संरक्षण में प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 3 के साथ शामिल में अपने-अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादीया व प्रतिवादी सं० 1 ल० 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा आराजी भी प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है लेकिन प्रतिवादी सं० 1 वृद्ध व जाईफ उम्र का व्यक्ति है जिसके सोचने व समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है जो अपना व परिवार का भला बुरा सोचने में असमर्थ है जिसको प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने अपने बहकावे में ले रखा है तथा बिना पारिवारिक आवश्यकता प्रतिवादी सं० 1 से दिनांक 11.12.2013 को प्रतिवादी सं० 4 व 5 मुनेश व सुमित्रा को आराजी ख०नं० 377/0.40 है० का 17/22 दर 11/40 भाग व 378/0.40 है० का 1/4 भाग व 379/0.81 है० का 11/40 भाग का व दिनांक 11.12.2013 को ही प्रतिवादी सं० 6 मंजूदेवी को आराजी ख०नं० 807/0.80 है० का 5/8 भाग दर 1/2 हिस्सा का व दिनांक 11.12.2013 को ही प्रतिवादी सं० 7 बबलीदेवी को आराजी ख०नं० 807/0.80 है० का 15/40 भाग दर 1/4 भाग का व दिनांक 27.07.2018 को प्रतिवादी सं० 8 पतराम को आराजी ख०नं० 21/0.64 है० का 3/10 भाग व ख०नं० 22/0.64 है० का 5/192 दर 3/10 भाग का जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बिला कब्जा बेचान कर दिया तथा अब प्रतिवादी सं० 1 ल० 8 वादीया को आराजी से बेदखल कर जबरन कब्जा करना चाहते है इसलिए उपरोक्त बयनामों व बयनामों के आधार पर दर्ज इन्तकालात को वादीया के हक व हिस्से तक बाबिल व बेअसर करार दिया जाकर वादीया को प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज आराजी में से प्रतिवादी सं० 2 के हिस्से 1/4 भाग में से 1/2 भाग का यानी उक्त विवादित कुल आराजीयात का 1/8 भाग का कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस हेतु वादीया ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप बैयनामा दिनांक 12.12.2013 प्रदर्श-1, बैयनामा दिनांक 27.07.2018 प्रदर्श-2, बैयनामा दिनांक 12.12.2013 प्रदर्श-3, बैयनामा दिनांक 11.12.2013 प्रदर्श-3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071-74 किता 28 प्रदर्श-5, नकल इन्तकाल सं० 552 किता 2 प्रदर्श-6, नकल इन्तकाल सं० 714 प्रदर्श-7, नकल इन्तकाल सं० 934 प्रदर्श-8 पेश किये जो शामिल पत्रावली है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र वादीया माता ममता पीडब्ल्यू-1, मनोज कुमार पीडब्ल्यू-2 पेश किये जिनके आधार पर प्रतिवादी सं० 1 द्वारा बिना पारिवारिक आवश्यकता प्रतिवादी सं० 4 ल० 8 को बिला मौके पर कब्जा दिये विवादित जमीन का विक्रय कर दिया है जिस आराजी में वादीया का प्रतिवादी सं० 02 के हिस्से 1/4 भाग में से 1/2 भाग का हकहकूक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बाईबर्थ निहित है का अभिकथन करते हुये इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे तथा वादी के हक व

सहायक कलक्टर  
मुण्डावर (अलवर) राज०

हिस्से तक प्रतिवादी सं० 1 व 4 ल० 8 का नाम हजफ कर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदीयात एवं इन्तकालात के गहनता से अवलोकन उपरांत विवादित आराजीयात वादीया कि पैत्रिक आराजी होकर दादा लाई आराजी साबित पाई जाती है परन्तु वादीया के दादा प्रतिवादी सं० 1 उमराव द्वारा आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामों के आधार पर विक्रय की गई है तथा रजिस्टर्ड बैयनामों के आधार पर ही नियमानुसार क्रेता प्रतिवादी सं० 4 ल० 8 के नाम जरिये इन्तकालात हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद सही होना पाते हुये विक्रयशुदा आराजी से शेष रही विवादित आराजीयात के बाबत के वादीया के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादीया के जमाबंदी संवत् 2071-74 अनुसार हाल आराजी ख० नं० 385/0.58, 386/0.58, 816/0.16 है० का 1/16 भाग, 18/0.76 है० का 1/4 भाग, 748/0.47, 803/0.19 है० का 1/8 भाग, 747/0.03, 804/0.18, 246/0.30, 814/0.20, 817/0.20 है० का 5/16 भाग, 20/0.63, 21/0.64, 22/0.64, 23/0.63 है० का 3/10 भाग, 171/0.19, 172/0.29, 173/0.33, 174/0.46 है० का 1/2 भाग, 805/0.13, 806/0.11, 810/0.38, 811/0.54, 812/0.38, 813/0.38, 808/0.75, 809/0.38, 815/0.18, 597/0.30, 751/0.21 है० का 1/4 भाग, 377/0.40 है० का 1/16 भाग, 18/0.76 है० का 1/30 भाग, 245/0.30 है० का 11/40 भाग, 378/0.81, 750/0.24, 596/0.29 है० 1/4 भाग, 161/0.79, 162/0.19, 163/0.90, 164/0.33 है० का 1/8 भाग दर 1/8 हिस्सा एवं 211/1.10, 233/1.19, 234/1.19 है० का 308/4880 भाग, 379/0.81 का 11/40 भाग, 807/0.80 है० का 1/2 भाग वाके ग्राम टेहडका तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादी सं० 4 व 5 मुनेश व सुमित्रा को आराजी ख० नं० 377/0.40 है० का 17/22 दर 11/40 भाग व 378/0.40 है० का 1/4 भाग व 379/0.81 है० का 11/40 भाग को व प्रतिवादी सं० 6 मंजूदेवी को आराजी ख० नं० 807/0.80 है० का 5/8 भाग दर 1/2 हिस्सा को व प्रतिवादी सं० 7 बबलीदेवी को आराजी ख० नं० 807/0.80 है० का 15/40 भाग दर 1/4 भाग को व प्रतिवादी सं० 8 पतराम को आराजी ख० नं० 21/0.64 है० का 3/10 भाग व ख० नं० 22/0.64 है० का 5/192 दर 3/10 भाग के बाबत का हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन यथावत रखते हुये शेष उपरोक्त विवादित आराजीयात में से वादीया को 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को डिक्री हुई० दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे वादीया को उक्तानुसार हिस्से आराजी 1/8 भाग से बेदखल कर कब्जा नहीं करे ना ही वादीया के काश्तकार्य में किसी भी प्रकार की मजाहमत ही करे पाबंद रहे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर  
07-12-2022

(पंकज बडगूजर)

न्यायालय सहायक कलकटर(फा० ३०)

मुण्डावर अलवर, राज०

सहायक कलकटर  
मुण्डावर (अलवर) राज०